


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

श्रीमती रजनी शेरावत बनाम गोकुल चन्द व अन्य

केस संख्या : 18 /2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
14.05.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित है। अपीलार्थी ने माता-पितां और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 02/2021 व उनवानी गोकुल बनाम सचिन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.03.2022 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।</p> <p>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच ने अन्य प्रकरण सिविल रिट पीटीशन नम्बर 11941/2021 उनवानी माया देवी व अन्य बनाम विश्वेश्वर दयाल व अन्य में दिनांक 01.05.2023 को आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार है यह अपील सुनवाई क्षेत्राधिकार में है।</p> <p>अपीलान्त को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>माता-पितां और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम-2007 की धारा 16 में केवल अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता को ही अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है।</p> <p>अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच की सिविल रिट पीटीशन नम्बर 2741/2024 उनवानी श्रीमती रजनी शेरावत बनाम गोकुल चन्द व अन्य दिनांक 01.03.2024 को विज्ञो किया है।</p> <p>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर ने सिविल रिट पीटीशन नम्बर 11941/2021 आदेश दिनांक 01.05.2023 की प्रति एडीशनल सोलीसीटर जनरल को अधिनियम में परिवर्तन कराने के लिए प्रेषित की है।</p> <p>चूकि यह अपील पुत्रवधु द्वारा पेश की गई है। जब तक अधिनियम में इस बाबत आवश्यक परिवर्तन नहीं हो जाता या सक्षम मान्य न्यायालय द्वारा निर्देश नहीं दिये जावे तब तक पुत्र/पुत्रवधु द्वारा अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील सुनवाई हेतु ग्रहण योग्य नहीं है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चार:जोई करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">  (प्रकाश राजपुरोहित) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर </p>	